**भारतीय स्टेट बैंक**

**ग्रीन डिपॉजिट जारी करने** तथा **आ**बं**टन** संबंधी **नीति**

**2023-24**

**संस्करण 1.0**

ईएसजी और सीएफयू

एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई

विषय-सूची**:**

संवहनीयता **और ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए बैंक का दृष्टिकोण**

**भाग** ए

**1.ग्रीन डिपॉजिट** नीति

**1.1 उद्देश्य**

**1.2** मूल्यवर्ग, ब्याज दरें और जमाराशियों की अवधि **:**

# 1.3 प्राप्त राशि का उपयोग 1.4 परियोजना मूल्यांकन 1.5 तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव मूल्यांकन 1.6 ग्रीन डिपॉजिट राशि का अस्थायी आबंटन 1.7 फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क की बाह्य समीक्षा 1.8 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण 1.9 नीति की समीक्षा

**भाग** ब

**2. ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क**

**2.1 फ्रेमवर्क का उद्देश्य**

# 3. प्राप्त राशि का उपयोग

**3.1 परियोजना मूल्यांकन** तथा **चयन की प्रक्रिया 3.2 पात्र क्षेत्र 3.3 प्राप्त राशि का प्रबंधन**

# 4. आंतरिक सत्यापन 5. तृतीय पक्ष सत्यापन/मूल्यांकन 6. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

**7. बाहरी समीक्षा परिशिष्ट:**

# संवहनीयता और ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भारत के प्राचीनतम और सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिसकी नींव वर्ष 1806 में रखी गई। 217 वर्षों से अधिक की शानदार विरासत के साथ, हम, एसबीआई में, अब दुनिया भर में 47 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपने सभी हितधारकों-ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों तथा बड़े पैमाने पर राष्ट्र के कल्याण हेतु उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास में सदैव अग्रणी रहा है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि माना जाता है। एसबीआई हमेशा आम आदमी और देश के हितों को अपने केंद्र बिन्दु में रखता है और सतत व्यावसायिक प्रथाएं इसकी प्रमुख प्राथमिकता है। अपनी स्थापना के बाद से, एसबीआई बदलते समय को आत्मसात कर लगातार आगे बढ़ रहा है।

एसबीआई पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध है। इसके लिए, बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता और पहल के साथ-साथ विभिन्न उपायों को अपनाकर कई तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो पर्यावरणीय चिंताओं और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को प्रमाणित करते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में बैंक की शाखाओं/कार्यालयों द्वारा स्वच्छ बिजली के कैप्टिव उपयोग के लिए 15 मेगावाट की कुल क्षमता वाली पवन चक्की क्षमता की स्थापना, और कई अन्य इन-हाउस ऊर्जा दक्षता पहल जैसे एलईडी लाइटों में स्विचओवर, स्टार रेटेड एसी की स्थापना, सौर ऊर्जा संचालित वॉटर हीटर, अन्य।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने ऊर्जा दक्षता वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के वक्तव्य का समर्थन किया है जिसे यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा नवंबर-दिसंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 में अपनी पहली संवहनीयता रिपोर्ट लॉन्च की जिसने व्यावसायिक संवहनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 से, जीआरआई दिशानिर्देशों के अनुरूप संवहनीयता रिपोर्ट तैयार की गई है।

एसबीआई ने एक जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिससे कम कार्बन और जलवायु-अनुकूल भविष्य की दिशा में बैंक की प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने की उम्मीद है। इस नीति वक्तव्य का उद्देश्य प्रमुख जोखिमों और अवसरों की पहचान करके, इन विचारों को एसबीआई के संचालन में एकीकृत करके और भविष्य की तत्परता और हितधारक संबंधों को बढ़ाने में मदद करके जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करना है।

ई-एसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क जारी करने के साथ, हमारा लक्ष्‍य सतत वित्‍त बाजार की प्रगति में योगदान करना और अपने ग्राहकों को उनके व्‍यवसाय को जलवायु अनुकूल तरीके से बदलने में उनके लक्ष्‍यों को हासिल करने में मदद करने के लिए धन जुटाना है।

एसबीआई अपने मुख्य परिचालनों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस प्रकार एक रूपरेखा तैयार की गई है जो निर्दिष्ट उधारकर्ताओं के लिए ईएसजी मानदंडों की अनिवार्य रेटिंग निर्धारित करती है। इसमें भारत में मौजूदा उधारकर्ता और संभावित उधारकर्ता शामिल हैं, जिनका सीआरए रेटिंग के समय ₹100 करोड़ से अधिक (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और ₹500 करोड़ से अधिक (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) का एक्सपोज़र है।

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान हमारे अपने परिचालन से शुरू होता है, जिसे हम यथासंभव कुशल बनाने का प्रयास करते हैं। हमने पर्यावरण पर अपने परिचालन के प्रत्यक्ष प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं (ग्रीन चैनल बैंकिंग, सौर एटीएम, वर्षा जल संचयन, ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, वृक्षारोपण आदि)। रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों से लेकर कार्यालयों और शाखाओं में ऊर्जा संरक्षण तक, बैंक अपने परिचालन कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए काम कर रहा है।

ऊर्जा संरक्षण और स्‍वच्‍छ ऊर्जा में बदलाव एसबीआई के प्रयासों का एक प्रमुख स्‍तंभ है। यह न केवल 2030 (स्कोप 1 और स्कोप 2) तक कार्बन न्यूट्रल बनने की बैंक की प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है, बल्कि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, व्यवसाय लचीलापन और लागत दक्षता को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। इस ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी और फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क से बैंक को संवहनीयता और ग्रीन फाइनेंस के क्षेत्र में दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

**भाग** ए

## 1.ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रमांक** | **विवरण** | **नीति दिशानिर्देश** |
| **1.1** | **लक्ष्य** | आरबीआई ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क दिनांक 11.04.2023 के अनुसार ग्रीन डिपॉजिट जारी करने और आबंटन के लिए रोड मैप तैयार करना |
| **1.2** | मूल्यवर्ग, ब्याज दरें और जमाराशियों की अवधि: | बैंक ग्रीन डिपॉजिट को संचयी/गैर-संचयी जमाराशियों के रूप में जारी करेगा। परिपक्वता पर, जमाकर्ता के विकल्प पर ग्रीन डिपॉजिट को नवीनीकृत किया जाएगा या वापस ले लिया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट को केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 दिनांक 03 मार्च, 2016, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के परिभाषित मास्टर निदेश में यथा परिभाषित अवधि, आकार, ब्याज दर और अन्य शर्तें (जैसा कि आरई पर लागू होता है) भी ग्रीन डिपॉजिट में लागू होंगी।  एसबीआई, आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय रुपये में अंकित ग्रीन डिपॉजिट योजना तैयार करेगा।     1. ग्रीन डिपॉजिट को संचयी/गैर-संचयी जमा के रूप में जारी किया जाएगा। 2. परिपक्वता पर, जमाकर्ता के विकल्प पर ग्रीन डिपॉजिट को नवीनीकृत किया जाएगा या वापस ले लिया जाएगा।   विशिष्ट ग्रीन डिपॉजिट उत्पादों (राशि, ब्याज दर, अवधि आदि) को स्वामित्व विभाग द्वारा ALCO के परामर्श से ग्रीन डिपॉजिट जुटाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। |
| **1.3** | प्राप्त राशि का उपयोग: | ग्रीन डिपॉजिट से प्राप्त राशि का उपयोग केवल पात्र हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं के वित्तपोषण/निवेश के लिए किया जाएगा।  पात्र हरित गतिविधियां/परियोजनाएं जिन्हें ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई राशियों से वित्तपोषित/निवेश किया जा सकता है, उन्हें अनुबंध '1' में रखा गया है। |
| **1.4** | **परियोजना**  **मूल्यांकन:** | ग्रीन डिपॉजिट से प्राप्त राशियों का उपयोग केवल उन परियोजनाओं में वित्तपोषण/या निवेश करने के लिए किया जाएगा जो आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं।    परिचालन इकाइयां परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन मानदंड के अनुसार हरित वित्त के तहत परियोजना पर विचार करने/नहीं करने का औचित्य प्रदान करेंगी। प्रसंस्करण इकाइयाँ, प्रस्ताव को गो/नो गो प्रदान करते समय इस बात की जाँच कर सत्यापित करेंगी कि क्या प्रस्ताव हरित वित्त श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं। |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | बैंक मौजूदा उत्पादों की समीक्षा करेगा और संबंधित उप प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक एवं सीसीओ के अनुमोदन के पश्चात उत्पाद को ग्रीन फाइनेंस उत्पादों के रूप में टैग करेगा।    नए हरित उत्पादों को तैयार करते समय, ग्रीन फाइनेंस के तहत उत्पाद पर विचार करने के औचित्य को संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। |
| **1.5** | **तृतीय-पक्ष**  **सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव**  **मूल्यांकन** | एसबीआई ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाए गए धन के आबंटन के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में बाहरी सत्यापन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा।  एसबीआई वार्षिक अंतराल पर इन पैनलबद्ध एजेंसियों से वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाए गए धन के आबंटन के सत्यापन/आश्वासन का प्रबंध करेगा। तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा:  I. आय का उपयोग अनुलग्नक 1 में दर्शाई गई पात्र हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं के अनुसार होगा। बैंक जुटाई गई जमा राशि के प्रति आबंटित धन के वास्तविक उपयोग की निगरानी करेगा।  II. नीतियां और आंतरिक नियंत्रण, जिनमें अन्य बातों के अलावा, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन, और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई वहनीय जानकारी का सत्यापन, रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण शामिल हैं।    बाहरी फर्मों की सहायता से एसबीआई प्रभाव आकलन रिपोर्ट के माध्यम से हरित वित्त गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उधार दिए गए धन या निवेश से जुड़े प्रभाव का वार्षिक अंतराल पर आकलन करेगा।    यदि बैंक अपने ऋण/निवेश के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ है, तो उसे इसके कारणों, आने वाली कठिनाइयों और दिक्कतों को दूर करने के लिए समयबद्ध भावी योजनाएँ तैयार करनी होंगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रभाव मूल्यांकन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसे स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से तैयार की जाएगी।    बैंक तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव आकलन रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर रखेगा। |
|  |  | बैंक, एक्सपोजर के हरित वर्गीकरण की समीक्षा और वैधीकरण करेगा ताकि धन के वास्तविक उपयोग व आंतरिक जांच और शेष राशि की निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जैसा कि अन्य ऋणों के लिए किया गया है। |
| **1.6** | **ग्रीन डिपॉजिट** से प्राप्त राशियों **का अस्थायी** आबंटन**:** | बैंक पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आबंटन लंबित रहने तक ग्रीन डिपॉजिट राशि के अस्थायी आबंटन (जो केवल एक वर्ष की अधिकतम मूल अवधि तक अर्थसुलभ लिखतों में होगा, जैसा कि फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत निर्दिष्ट है) का प्रबंध करेगा।    बैंक ग्रीन डिपॉजिट के तहत देनदारी और इन फंडों के आबंटन को ट्रैक करेगा। रिपोर्ट बैंक के एएलएम विंग को भेजी जाएगी ताकि उसे एएलसीओ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।  बैंक अनुबंध 2 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार वार्षिक अंतराल पर अर्थसुलभ लिखतों में किए गए निवेश का विवरण प्रदान करेगा। |
| **1.7** | **बाह्य**  **समीक्षा का**  **वित्तीयन**  **ढाँचा:** | एसबीआई अपने फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क (भाग बी) की बाह्य समीक्षा करने का प्रबंध करेगा और फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से पूर्व बाह्य समीक्षक की राय बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। |
| **1.8** | **रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण**: | भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:   1. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के तहत जुटाई गई राशि 2. परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं की सूची जिनके लिए प्राप्त राशियां आबंटित की गई हैं 3. पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि 4. तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव आकलन रिपोर्ट की प्रति।   एसबीआई अनुबंध 2 में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्रीन डिपॉजिट फंड के उपयोग के संबंध में पोर्टफोलियो स्तर की जानकारी पर वार्षिक वित्तीय विवरण में उचित प्रकटीकरण करने का प्रबंध करेगा। |
| **1.9** | **नीति की समीक्षा** | नीति की समीक्षा वार्षिक अंतराल पर की जाएगी।    (नीति की अगली समीक्षा तक ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी में अंतरिम परिवर्तन (यदि कोई हो) शामिल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी वर्टिकल हेड होगा) |

**भाग** बी

**2. ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क**

## 2.1 फ्रेमवर्क का उद्देश्य

ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का उद्देश्य ग्रीन डिपॉजिट स्कीम के तहत जुटाई गई आय के परिनियोजन के लिए रोड मैप तैयार करना और हमारे ग्रीन फाइनेंस लक्ष्यों के प्रति हमारे प्रदर्शन को ट्रैक करने और प्रकट करने के उद्देश्य से वित्तपोषण को ग्रीन के रूप में वर्गीकृत करने की पद्धति निर्धारित करना है।

यह फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा 11.04.2023 को जारी ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क और दुनिया भर में वित्तीय क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है। इस ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए पहलुओं के लिए, ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, जहां भी लागू हो, बैंक की ईएसजी नीति/ढांचे द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

यह फ्रेमवर्क हरित परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने में दिशानिर्देश भी प्रदान करेगा और इसमें जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए अपेक्षित पारदर्शिता और प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल होंगे।

## 3. प्राप्त राशियों का उपयोग

ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई राशि का आबंटन आधिकारिक भारतीय ग्रीन टैक्सोनॉमी पर आधारित होगा। अंतरिम उपाय के रूप में वर्गीकरण को अंतिम रूप दिए जाने तक, बैंक को ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई राशि को केवल पात्र क्षेत्रों की ओर आबंटित करने की आवश्यकता होगी जैसा कि आरबीआई द्वारा ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट किया गया है।

फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए किसी भी ग्रीन डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त शुद्ध राशि का उपयोग एसबीआई के ग्रीन एसेट पूल को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा। यह पूल निगमों, परिसंपत्तियों या परियोजनाओं में ऋण और निवेश दोनों से बना है जो एक स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करते हैं और इस फ्रेमवर्क (योग्य हरित एसेट्स) की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

ग्रीन एसेट पूल हेतु पात्र होने के लिए, ऋण या निवेश नीचे दी गई तालिका 3.1 में वर्णित क्षेत्रों में से कम से कम एक में आना चाहिए।

### 3.1 पात्र क्षेत्र

हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की सूची, जहां ग्रीन डिपॉजिट/लिखत से प्राप्त राशियों का उपयोग किया जा सकता है, निम्नानुसार है

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम संख्या | क्षेत्र | विवरण |
| 1 | नवीकरणीय  ऊर्जा | सौर/पवन/बायोमास/जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण को संघटित करती हैं |
| नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहन |
| 2 | ऊर्जा  दक्षता | इमारतों और संपत्तियों में ऊर्जा-कुशल एवं ऊर्जा बचत प्रणालियों और प्रतिष्ठानों का डिजाइन और निर्माण |
| प्रकाश व्यवस्था बेहतर करना (जैसे एल ई डी से बदला जाए) |
| नई कम कार्बन इमारतों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा इमारतों में ऊर्जा-दक्षता वाले रेट्रोफिट का प्रबंध करना। |
| बिजली ग्रिड के नुकसान को कम करने के लिए परियोजनाएं। |
| 3 | स्वच्छ  परिवहन | परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं। |
| स्वच्छ ईंधन को अपनाना जैसे इलेक्ट्रिक वाहन सहित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण |
| 4 | जलवायु परिवर्तन  अनुकूलन | जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सम्मत इन्फ्रास्ट्रक्चर को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से परियोजनाएं |
| 5 | सतत जल और अपशिष्ट | जल सक्षमस सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना |
| बाढ़ बचाव प्रणाली |
| जल संसाधन संरक्षण |
| अपशिष्ट जल इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/उन्नयन जिसमें परिवहन, जल प्रशोधन तथा निपटान प्रणाली शामिल है। |
| 6 | प्रदूषण रोकथाम  एवं नियंत्रण | वायु उत्सर्जन में कमी, ग्रीनहाउस गैस नियंत्रण, मृदा निवारण, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट में कमी और ऊर्जा/उत्सर्जन को लक्षित करने वाली परियोजनाएँ - कुशल अपशिष्ट-से-ऊर्जा |
| 7 | ग्रीन बिल्डिंग | इमारतों से संबंधित परियोजनाएं जो पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों या प्रमाणपत्रों को पूरा करती हैं |
| 8 | जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन | कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पर्यावरणीय तरीके से स्थायी प्रबंधन। |
| वनीकरण/वन कटाई सहित सतत वानिकी प्रबंधन |
| प्रमाणित जैविक खेती का समर्थन |
| जीवित संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण पर अनुसंधान |
| 9 | स्थलीय और  जलीय  जैव विविधता  संरक्षण | तटीय और समुद्री वातावरण से संबंधित परियोजनाएं |
| लुप्तप्राय प्रजातियों, आवासों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण सहित जैव विविधता संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं |
|  | **अपवर्जन** | नई या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं, जिनमें सुधार और उन्नयन शामिल हैं; या जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन आधारित है। |
| परमाणु ऊर्जा उत्पादन |
| प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण |
| शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, या पाम तेल उद्योग. |
| लैंडफिल परियोजनाएं |
| संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले फीडस्टॉक का उपयोग कर बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं |
| 25 M से बड़े जलविद्युत संयंत्र |

\*फीडबैक में मुख्य रूप से शामिल होंगे: सीवेज, खाद, अपशिष्ट जल, खोई, बायोमास, लकड़ी के गोले, आदि #इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।

**मौजूदा हरित उत्पाद**

एसबीआई के पास पहले से ही मौजूदा हरित उत्पादों (उत्पाद कोड द्वारा पहचाने जाने योग्य) का पूल है। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के तहत उठाए गए किसी भी लिखत के आगम को बैंक द्वारा इन विशिष्ट उत्पादों (अनुलग्नक 4) या बाद में अनुमोदित किसी अन्य पात्र हरित उत्पादों में आरबीआई द्वारा 11.04.2023 को ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्तों के अनुपालन में परिनियोजित किया जा सकता है।

### 3.2 परियोजना मूल्यांकन और चयन संबंधी प्रक्रिया

बैंक पात्र ग्रीन एसेट्स की पहचान करेगा जो पात्र क्षेत्रों और "आय के उपयोग" के अंतर्गत परिभाषित संबंधित मानदंडों के अनुरूप हैं।

बैंक के पास पात्र श्रेणियों के भीतर उधार/निवेश के लिए उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने, आंतरिक जांच/बाह्य सत्यापन/प्रमाणन द्वारा उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सततता सूचना की निगरानी और सत्यापन के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं होंग।

ग्रीन फाइनेंस के पर्यावरणीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक टीमों/परिचालन इकाइयों द्वारा संभावित परियोजनाओं और परिसंपत्तियों की एक सूची की पहचान की जाएगी। परियोजनाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया जाएगा

#### 1. वित्तीय समुचि‍त सावधानी (बैंक की ऋण नीति के अनुसार)

फ्रेमवर्क के तहत वित्तपोषित हरित परिसंपत्तियां अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करेंगी और ऋण नीति के तहत बैंक द्वारा निर्धारित ऋणों के लिए नियंत्रण और संतुलन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा वित्त नीति जैसी क्षेत्र विशिष्ट वित्त नीति, यदि कोई हो, का पालन करेंगी।

#### 2. कंपनी का ईएसजी मूल्यांकन (बैंक के ईएसजी ढांचे के अनुसार)

मूल्यांकन में पर्यावरण के मुद्दों के प्रति उधारकर्ता/कंपनी की प्रतिबद्धता और ऐसे मुद्दों का ट्रैक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, और ईएसजी मुद्दों पर रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाएगा।

मूल्यांकन में ईएसजी रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाएगा और/या यह जांचा जाएगा कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में संबंधित नियामक/सरकारी मंत्रालयों/विभाग द्वारा निर्धारित उचित उद्योग मानक या प्रमाणन लागू है या नहीं।

#### 3. परिसंपत्ति स्तर मूल्यांकन

मूल्यांकन में व्यक्तिगत परियोजना या संपत्ति के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के बारे में जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा। एसबीआई ने प्रासंगिक परियोजनाओं से जुड़े सामाजिक, पर्यावरण और शासन जोखिमों की पहचान की सुविधा के लिए ईएसजी मानदंडों पर उधारकर्ताओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) का आकलन करने के लिए 'ईएसजी रेटिंग मॉडल' लागू किया है। ईएसजी रेटिंग ढांचे के तहत कवर नहीं की गई प्रासंगिक परियोजनाओं के लिए, एसबीआई एक अलग ई एंड एस जोखिम मूल्यांकन पद्धति विकसित करेगा, जिसे आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

#### 4. प्रभाव मूल्यांकन

प्रत्येक परियोजना या परिसंपत्ति के पर्यावरणीय लाभ का मूल्यांकन इस मामले में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार या वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा।

बैंक के ईएसजी ढांचे के तहत स्थापित संवहनीयता समिति ("एससी"), ग्रीन एसेट पूल के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली परियोजना की पात्रता निर्धारित करेगी और इसके तहत ग्रीन पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। समिति इस फ्रेमवर्क के तहत ग्रीन डिपॉजिट के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की निगरानी करेगी।

परियोजना स्तर का मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन संबंधित विभागों/परिचालन इकाइयों द्वारा मौजूदा आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप किया जाएगा।

### 3.3 प्राप्त राशियों का प्रबंधन

ग्रीन डिपॉजिट से प्राप्त राशि का उपयोग तालिका 3.1 के अनुसार केवल पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में वित्तपोषण/निवेश के लिए किया जाएगा।

हरित संपत्ति की पहचान परिचालन इकाइयों द्वारा चयनित अंतर्निहित गतिविधि से की जाएगी। ग्रीन पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन एसेट्स दोनों के लिए एमआईएस जनरेट किया जाएगा।

एमआईएस रिपोर्ट जमा/ऋण खाता संख्या, ग्राहक नाम, प्राप्त राशि का उपयोग, स्वीकृत राशि, ऋण की राशि और बकाया राशि, ऋण परिपक्वता और अन्य आवश्यक जानकारी सहित ग्रीन पोर्टफोलियो के विवरण को निष्कर्षण में सक्षम बनाएगी, ताकि जारी राशि और उपयोग, या राशि के आवंटन की वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की जा सके।

परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में किसी भी पुनर्भुगतान / पुनर्वित्त और आय के लिए निर्धारित नए ऋण पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए ग्रीन पोर्टफोलियो की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

एसबीआई पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनके आबंटन को लंबित रखते हुए, ग्रीन डिपॉजिट आय के अस्थायी आबंटन (जो केवल एक वर्ष के अधिकतम मूल कार्यकाल तक केवल तरल उपकरणों में होगा) का प्रबंध करेगा।

(\*टी बिल, टीआरईपीएस/सीआरओएमएस/आरबीआई एलएएफ के तहत ओवरनाइट/टर्म प्लेसमेंट, दिनांकित प्रतिभूतियाँ और अन्य कूपन-युक्त एनएसएलआर प्रतिभूतियाँ)।

स्टेट बैंक किसी भी समय, सभी ग्रीन डिपॉजिट बकाया की कुल शुद्ध आय की तुलना में पात्र ग्रीन एसेट्स की एक बड़ी कुल राशि को बनाए रखने का प्रयास करता है। ग्रीन डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स की शुद्ध आय पर इन्वेंटरी में पात्र हरी परिसंपत्तियों का एक बफर बनाए रखने के लिए, स्टेट बैंक व्यावहारिक रूप से संभव के रूप में समय पर उपयुक्त विकल्प के साथ परिपक्व ऋण या अन्य वित्तपोषण को प्रतिस्थापित करने के लिए समर्पित है।

एसबीआई संभावित कमी का पता लगाने के लिए इन्वेंटरी की निगरानी करेगा। कमी के मामले में, यदि कभी भी कमी होती है, तो ग्रीन डिपॉजिट पूल से तरल उपकरणों में समान राशि का निवेश किया जाएगा।

## 4 आन्तरिक प्रमाणीकरण

इस ढांचे के तहत मान्यता प्राप्त सभी क्रेडिट पोर्टफोलियो को बैंक की ऋण नीति के तहत ऋण के लिए निर्धारित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जिनका परिचालन इकाइयों द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षक (आरएफआईए/क्रेडिट ऑडिट) शाखा में खाते की लेखा परीक्षा करते समय एक्सपोजर के हरित वर्गीकरण की जांच और सत्यापन करेगा ताकि निधियों का अंतिम उपयोग और आंतरिक जांच और शेष राशि की निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जैसा कि अन्य ऋणों के लिए किया गया है।

## 5 तृतीय पक्ष सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव आकलन

एसबीआई वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के आबंटन के सत्यापन / आश्वासन की व्यवस्था तीसरे पक्ष सत्यापन एजेंसियों से वार्षिक अंतराल पर करेगा। तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा:

1. आय का उपयोग तालिका 3.1 में दर्शाई गई पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार होना चाहिए। बैंक जुटाई गई जमा राशि के प्रति आबंटित निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करेगा।

1. नीतियां और आंतरिक नियंत्रण, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन, और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण शामिल हैं।

बाहरी एजेंसियों/फर्मों की सहायता से एसबीआई प्रभाव संकेतकों (अनुलग्नक 3) के आधार पर प्रभाव आकलन रिपोर्ट के माध्यम से ग्रीन डिपॉजिट द्वारा वित्त पोषित ग्रीन वित्त गतिविधियों/परियोजनाओं के प्रभाव का वार्षिक आकलन करेगा।

यदि बैंक अपने ऋण/निवेश के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ है, तो उसे इसके कारणों, आने वाली कठिनाइयों और दिक्कतों को दूर करने के लिए समयबद्ध भावी योजनाएँ तैयार करनी होंगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रभाव मूल्यांकन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसे स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 से, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से तैयार की जाएगी।

## 6 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे:

* पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के तहत जुटाई गई राशि।
* परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ, हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की सूची जिनके लिए आय आबंटित की गई है।
* पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि।
* तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति।

एसबीआई (अनुबंध 2) में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्रीन डिपॉजिट फंड के उपयोग के संबंध में पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी पर वार्षिक वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करने का प्रबंध करेगा।

## 7 बाहरी समीक्षा

एसबीआई एक बाहरी समीक्षक/परामर्शदाता से इस ढांचे की स्वतंत्र समीक्षा कराने का प्रबंध करेगा। फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से पूर्व समीक्षक की राय एसबीआई की वेबसाइट: www.sbi.co.in पर प्रकाशित की जाएगी।

अनुलग्नक 1

हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की सूची निम्न प्रकार है जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करते हैं, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हैं, जलवायु लचीलापन और / या अनुकूलन और मूल्य को बढ़ावा देते हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता में सुधार करते हैं।

|  |  |
| --- | --- |
| क्षेत्र | **विवरण** |
| नवीकरणीय ऊर्जा | * सौर/पवन/बायोमास/जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण को संघटित करती हैं।      * नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहन |
| ऊर्जा दक्षता | इमारतों और संपत्तियों में ऊर्जा-कुशल एवं ऊर्जा बचत प्रणालियों और प्रतिष्ठानों का डिजाइन और निर्माण     * प्रकाश व्यवस्था बेहतर करना (जैसे एल ई डी से बदला जाए) * नई कम कार्बन इमारतों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा इमारतों में ऊर्जा-दक्षता वाले रेट्रोफिट का प्रबंध करना।      * बिजली ग्रिड के नुकसान को कम करने के लिए परियोजनाएं। |
| स्वच्छ  परिवहन | * परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं।      * स्वच्छ ईंधन को अपनाना जैसे इलेक्ट्रिक वाहन सहित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण |
| जलवायु परिवर्तन  अनुकूलन | • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सम्मत इन्फ्रास्ट्रक्चर को अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से परियोजनाएं |
| संपोषणीय  जल तथा अपशिष्ट  प्रबंधन | * जल सक्षम सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना      * परिवहन, उपचार और निपटान प्रणालियों सहित अपशिष्ट जल अवसंरचना की स्थापना/उन्नयन। * जल संसाधन संरक्षण।      * बाढ़ बचाव प्रणाली। |
| प्रदूषण रोकथाम  एवं नियंत्रण | वायु उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण, मृदा निवारण, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट में कमी और ऊर्जा/उत्सर्जन को लक्षित करने वाली परियोजनाएँ - कुशल अपशिष्ट-से-ऊर्जा |
| ग्रीन बिल्डिंग | इमारतों से संबंधित परियोजनाएं जो पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों या प्रमाणपत्रों को पूरा करती हैं। |
| जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन | * कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पर्यावरणीय तरीके से स्थायी प्रबंधन।      * वनीकरण/वन कटाई सहित सतत वानिकी प्रबंधन * प्रमाणित जैविक खेती का समर्थन। |
|  | • जीवित संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण पर अनुसंधान |
| स्थलीय और  जलीय  जैव विविधता  संरक्षण | * तटीय और समुद्री वातावरण से संबंधित परियोजनाएं      * लुप्तप्राय प्रजातियों, आवासों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण सहित जैव विविधता संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं |
| अपवर्जन     * नई या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं, जिनमें सुधार और उन्नयन शामिल हैं; या जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन आधारित है।      * परमाणु ऊर्जा उत्पादन      * प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण      * शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, या पाम तेल उद्योग      * संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले फीडस्टॉक का उपयोग कर बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं      * लैंडफिल परियोजनाएं।      * 25 मेगावाट से बड़े जलविद्युत संयंत्र। | |

\*फीडबैक में मुख्य रूप से शामिल होंगे: सीवेज, खाद, अपशिष्ट जल, खोई, बायोमास, लकड़ी के गोले, आदि

### अनुलग्नक – 2

### 

**ग्रीन डिपॉज़िट जमा से जुटाए गए धन के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (राशि ₹ करोड़ में) | | | |
| **विवरण** | चालू  **वित्तीय वर्ष** | **पिछला**  **वित्तीय वर्ष** | **संचयी\*** |
| जुटाई गई सकल ग्रीन डिपॉज़िट (A) |  |  |  |
| ग्रीन डिपॉजिट फंड का उपयोग\*\* | | | |
| (1) नवीकरणीय ऊर्जा |  |  |  |
| (२) ऊर्जा दक्षता |  |  |  |
| (३) स्वच्छ परिवहन |  |  |  |
| (4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन |  |  |  |
| (5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन |  |  |  |
| (6) प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण |  |  |  |
| (7) ग्रीन बिल्डिंग |  |  |  |
| (8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन |  |  |  |
| (9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण |  |  |  |
| आबंटित कुल ग्रीन डिपॉजिट फंड (B = 1 से 9 का योग |  |  |  |
| ग्रीन डिपॉजिट फंड की राशि जो आबंटित नहीं की गई (C = A – B) |  |  |  |
| ग्रीन डिपॉजिट आय के अस्थायी आबंटन का विवरण, जिनका पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आबंटन लंबित है। |  |  |  |
| \* इसमें बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू करने के बाद से संचयी राशि शामिल होगी। उदाहरण के लिए, यदि बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू कर दिया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई और आवंटित जमा का विवरण शामिल होगा।  \*\*प्रत्येक श्रेणी के तहत, एसबीआई प्रत्येक उप-क्षेत्र को आबंटित धन के आधार पर उप-श्रेणियां प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, एसबीआई "नवीकरणीय ऊर्जा" के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियां प्रदान कर सकता है। | | | |

**अनुलग्नक - 3**

### प्रभाव संकेतकों की उदाहरणात्मक सूची

|  |  |
| --- | --- |
| **पात्र परियोजना श्रेणी** | **प्रभाव संकेतक - उदाहरण** |
| नवीकरणीय ऊर्जा | कुल नवीकरणीय क्षमता (मेगावाट घंटे में) |
| प्रति वर्ष उत्पन्न ऊर्जा (मेगावाट) |
| प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचा गया (टन CO 2 समतुल्य, tCO2e में मापा गया) |
| अपशिष्ट प्रबंधन | प्रति वर्ष लैंडफिल से डायवर्ट किया गया कचरा (टन) |
| स्वच्छ परिवहन | प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचाया गया (tCO 2e) |
| नए स्वच्छ परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया (किमी) |
| उत्पादित इलेक्ट्रिक या कम उत्सर्जन वाहनों की संख्या |
| ऊर्जा दक्षता | प्रति वर्ष ऊर्जा बचत (मेगावाट घंटे में) |
| प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचाया गया (tCO 2e) |
| वनीकरण/पुनर्वनीकरण | जीएचजी उत्सर्जन में कमी/कार्बन पृथक्करण हासिल किया गया (tCO2e में मापा गया) |

**अनुबंध- 4**

### मौजूदा हरित उत्पादों की उदाहरणात्मक सूची

|  |  |
| --- | --- |
| **क्रम संख्या** | उत्पाद **का नाम** |
| **1** | ग्रीन कार लोन (EV) |
| **2** | ई रिक्शा का वित्तपोषण |
| **3** | पीएम कुसुम के तहत कृषि के लिए सौर पीवी पंप सेट का वित्तपोषण |
| **4** | सतत योजना के तहत बायोगैस संयंत्र का वित्तपोषण |
| **5** | ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण |

**नोट: बैंक द्वारा तैयार कोई भी अन्य उत्पाद (नया/मौजूदा), आरबीआई ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के अनुसार ग्रीन एसेट की पात्रता मानदंड का अनुपालन करते हुए, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के तहत जुटाए गए निधि के परिनियोजन हेतु ग्रीन एसेट के पूल में जोड़ा जाएगा।**